



संदर्भ सं. राबै.जीएसडी/81541-81571/आई एस -1/ 2025-26

02 सितंबर 2025

परिपत्र सं: 203/जीएसडी-06/ 2025

प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

**वर्ष 2025-26 के लिए अल्पावधि मियादी ऋणों (कृषि और संबद्ध गतिविधियों) के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने पर दिनांक 01.07.2025 के परिपत्र सं. 158 का प्रास्थगन**

कृपया दिनांक 01.07.2025 के हमारे परिपत्र सं. 158/जीएसडी-05/2025 का अवलोकन करें, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2025-26 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर उनके दिनांक 16 जून 2025 के पत्र एफ.सं.1-4/2020-ऋण-I के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर परिचालित किया गया था।

2. इन दिशानिर्देशों से जुड़ी परिचालनात्मक चुनौतियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त परिपत्र को अगले आदेशों तक प्रास्थगित रखा जाए।

3. संशोधित परिपत्र यथासमय जारी किया जाएगा।

4. आप कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबंधित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

भवदीय

(डॉ. सुमन कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

**सरकारी योजनाएँ विभाग**

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: + 91 2653 9332 • ई-मेल : gsd@nabard.org

**Government Schemes Department**

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: + 91 2653 9332 • E-mail : gsd@nabard.org